कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक: 07.07.2026

☐ मुगलसराय व एसओजी पुलिस की संयुक्त बड़ी कार्रवाई; फर्जी नंबर प्लेट लगी कार से 24.800 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद

☐ शातिर तस्कर गिरफ्तार, बरामद गांजे की कुल कीमत करीब 6 लाख रुपये; बिहार का रहने वाला है आरोपी

☐ पटनवा तिराहे व मिल्कीपुर-ताहिरपुर हाईवे पर घेराबंदी कर दबोचा गया तस्कर, पुलिस की मुस्तैदी से नेटवर्क ध्वस्त

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थानाध्यक्ष मुगलसराय विजय प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.07.2026 को थाना मुगलसराय पुलिस, चौकी औद्योगिक नगर पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में पटनवा तिराहे पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मिल्कीपुर-ताहिरपुर हाईवे पर घेराबंदी कर एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी रेनाल्ट डस्टर कार और दो प्लास्टिक के बोरों में भरा कुल 24 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 328/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही-

थाना मुगलसराय पुलिस और एसओजी चन्दौली की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 06.07.2026 को पटनवा तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मिर्जापुर की ओर से एक काले रंग की रेनाल्ट डस्टर कार में अवैध गांजा लादकर वाराणसी की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर सतर्क हुई संयुक्त पुलिस टीम ने मिल्कीपुर-ताहिरपुर हाईवे पर घेराबंदी की। कार के आने पर जब उसे रोकने का प्रयास किया गया, तो वाहन चालक भागने लगा। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया और चालक को दबोच लिया। क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर की उपस्थिति में वाहन की सघन तलाशी लेने पर डिग्गी में रखे दो सफेद प्लास्टिक के बोरों से कुल 24 बंडलों में पैक 24 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

वाहन की जांच ई-चालान ऐप एवं चेसिस नंबर के माध्यम से करने पर पाया गया कि कार पर लगी नंबर प्लेट (UP16BY9490) किसी अन्य वाहन की है। वास्तविक चेसिस नंबर से जांच करने पर रेनाल्ट डस्टर का अलग पंजीकरण पाया गया। अभियुक्त द्वारा गिरफ्तारी और पुलिस से बचने के लिए वाहन पर दूसरे वाहन की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही थी। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को दिनांक 06.07.2026 को समय करीब 11.50 बजे नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम उमाकान्त उर्फ हिमांशु बताया। उसने स्वीकार किया कि वह पुलिस की आंखों में धूल झोंकने और पकड़े जाने से बचने के लिए कार पर फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाकर अवैध गांजे की तस्करी कर रहा था। वह इस अवैध माल को मिर्जापुर की तरफ से लाकर वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करने की फिराक में था, ताकि मोटा आर्थिक लाभ कमा सके। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ के आधार पर इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.उमाकान्त उर्फ हिमांशु पुत्र गोपाल प्रसाद चन्द्रवंशी, निवासी ग्राम बंधन टोला आरा, थाना नवादा, जनपद भोजपुर (बिहार), उम्र लगभग 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 328/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण-

24 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा (कुल 24 बंडलों में, 02 प्लास्टिक बोरों से बरामद)।

एक रेनाल्ट डस्टर कार (फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगी हुई)।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक: 07.07.2026

➡ 50 हजार का इनामी व स्थायी वारंटी अभियुक्त को वाराणसी से किया गया गिरफ्तार

➡ थाना अलीनगर द्वारा सर्विलांस सेल की मदद से दुष्कर्म के अभियोग में 14 वर्ष से वांछित 50,000/- रुपये का इनामिया/स्थायी वारंटी 01 अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थाना अलीनगर पुलिस द्वारा सर्विलांस सेल की मदद से दिनांक 06.07.2026 को समय करीब 16.00 बजे बाबतपुर थाना फुलपुर जनपद वाराणसी से मु0अ0स0 134/12 धारा 363/366/376 भा.द.वि. से सम्बन्धित 50,000/- रुपये के 14 वर्ष से वांछित इनामिया व स्थायी वारंटी अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र रमेश राम निवासी घुस खास थाना अलीनगर जनपद चन्दौली, उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.संतोष कुमार पुत्र रमेश राम निवासी घुस खास थाना अलीनगर जनपद चन्दौली, उम्र करीब 42 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1.एस.टी. नं0 107/2013 अ0स0 134/12 धारा 363/366/376 भा.द.वि. थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।